



भारत नरिवाचन आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत नरिवाचन आयोग](#) ने हरियाणा में स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये अपने प्रयासों को तेज़ कर दिया है, जिसमें अभियान के वृत्ति की वास्तविक समय निगरानी, मतदाता आउटरीच पहल और [आदर्श आचार संहिता](#) के सख्त पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है

मुख्य बढि:

- **भारत का नरिवाचन आयोग (Election Commission of India- ECI)** एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य की चुनावी प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है।
 - इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को ([राष्ट्रीय मतदाता दविस](#) के रूप में मनाया जाता है) की गई थी। आयोग का सचवालय नई दलिली में है।
- यह नकिया भारत में [लोकसभा](#), [राज्यसभा](#) और [राज्य वधिनसभाओं](#) तथा देश में [राष्ट्रपति](#) एवं [उपराष्ट्रपति](#) के पदों के लिये चुनावों का संचालन करता है।
 - इसका राज्यों में [पंचायतों](#) और [नगर पालिकाओं](#) के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत के संविधान में [अलग सेराज्य नरिवाचन आयोग](#) का प्रावधान है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
 - **अनुच्छेद 324:** चुनावों का अधीक्षण, नरिदेशन और नयितरण नरिवाचन आयोग में नहिति होगा।
 - **अनुच्छेद 325:** कसिी भी वयकर्ता को धरुम, मूलवंश, जात या लगी के आधार पर कसिी वशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिये अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं कया जा सकता।
 - **अनुच्छेद 326:** लोकसभा और राज्य वधिनसभाओं के लिये चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
 - **अनुच्छेद 327:** वधिनमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
 - **अनुच्छेद 328:** कसिी राज्य के वधिनमंडल की ऐसे वधिनमंडल के लिये चुनावों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति।
 - **अनुच्छेद 329:** चुनावों के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतबंध।
- **ECI की संरचना:**
 - मूलतः आयोग में केवल एक नरिवाचन आयुक्त होता था, लेकिन [नरिवाचन आयुक्त संशोधन अधनियम, 1989](#) के बाद इसे बहुसदस्यीय नकिया बना दिया गया।
 - नरिवाचन आयोग में **मुख्य नरिवाचन आयुक्त (CEC)** और अन्य नरिवाचन आयुक्तों की संख्या (यदि कोई हो) शामिल होगी, जनिहें राष्ट्रपति समय-समय पर नरिधारति करें।
 - वर्तमान में, इसमें मुख्य नरिवाचन आयुक्त और दो **नरिवाचन आयुक्त (EC)** शामिल हैं।
 - राज्य स्तर पर नरिवाचन आयोग को **मुख्य नरिवाचन अधिकारी** द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- **आयुक्तों की नयिुक्ति एवं कार्यकाल:**
 - राष्ट्रपति [CEC और अन्य EC \(नयिुक्ति, सेवा की शरतें और कार्यालय की अवधि\) अधनियम, 2023](#) के अनुसार CEC और नरिवाचन आयुक्तों की नयिुक्ति करते हैं।
 - उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नरिधारति है।
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त और नरिवाचन आयुक्तों का वेतन एवं सेवा शरतें [सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश](#) के समतुल्य होंगी।
- **हटाना:**
 - वे कसिी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं।
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त को **संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पदच्युत कया जा सकता है, जबकि नरिवाचन आयुक्तों को केवल मुख्य नरिवाचन आयुक्त की सफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
- **सीमाएँ:**
 - संविधान में नरिवाचन आयोग के सदस्यों की योग्यताएँ (वधिकि, शैक्षिकि, प्रशासनिक या न्यायिकि) नरिधारति नहीं की गई हैं।
 - संविधान में नरिवाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल नरिदषिट नहीं कया गया है।
 - संविधान ने सेवानवृत्त नरिवाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा कसिी भी अन्य नयिुक्ति से वंचित नहीं कया है।

